

मध्यप्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय
-आदेश-

भोपाल, दिनांक

क्रमांक/एफ-AYU/1/0017/2025-O/o Minister-59(AYU) :: भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.आई.एस.एम.) भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र क्र/1/1/2025-एएसीसीसी दिनांक 10/12/2025 द्वारा प्रवेश तिथि में वृद्धि करते हुए अंतिम तिथि दिनांक 20.12.2025 तक निर्धारित की गई है।

2/ शिक्षण सत्र 2025-26 की स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड की काउंसलिंग में रिक्त रह गई सीटों की पूर्ति हेतु छात्रहित में इस विषय पर जारी प्रवेश नियमों के बिन्दु क्रमांक 16.4 (2) में शिथिलता प्रदान करते हुए इस शिक्षण सत्र 2025-26 में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरणों की काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों द्वारा कॉलेज आवंटन के पश्चात भी अन्य कारणों से प्रवेश नहीं लिया जा सका है वो आगामी स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड (काउंसलिंग) में भाग ले सकेंगे"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Ranjana Dewada
Date: 12-12-2025
17:19:05 उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

पृ.क्रमांक/एफ-AYU/1/0017/2025-O/o Minister-59(AYU) भोपाल, दिनांक
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली
2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, आयुष विभाग, मंत्रालय
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव आयुष विभाग, मंत्रालय
4. आयुक्त, आयुष संचालनालय, म.प्र. भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि समस्त महाविद्यालय/ समस्त सर्वजनिक स्थानों एवं समाचार पत्रों में सूचना प्रदर्शित करने हेतु तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करे।
5. आदेश फाइल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग